न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 33 / 2016

प्रार्थी–
भंवरलाल पुत्र भोमाराम जाति
रावणा राजपूत निवासी मोकलसर
तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–
1. सरपंच, ग्राम पंचायत मोकलसर प0स0 सिवाना जिला बाड़मेर
2. मूलेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर पंचायत समिति सिवाना जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 05 दिनांक 21.12.2009 जो अप्रार्थी सं. 2 मूलेन्द्रसिंह के नाम ग्राम पंचायत मोकलसर द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं 1व2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 30 / 07 / 2019

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत मोकलसर द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत ग्राम मोकलसर मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 5 दिनांक 21.12.2009 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 2400 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत मोकलसर द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस तामीलशुदा प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुना गया एवं ग्राम पंचायत मोकलसर का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत मोकलसर द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए किसी भी नियम की पालना नही की गई है, जिससे आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत की ओर से अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जिस विवादित भूमि का पट्टा जारी किया गया हैं वह विवादित भूमि निगरानीकर्ता व उसकी माता के नाम से जारी पट्टा की भूमि व राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग की 75 फीट चौड़ी बाउण्डरी के अन्दर हैं जो अवैध है। राष्ट्रीय राजमार्ग की निर्धारित बाउण्डरी 75 छोड़ने के बाद प्रार्थी व उसकी माता का पट्टाशुदा भूखण्ड स्थित है, इसके मध्य आने वाली भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 का कभी कब्जा–स्वामित्व नही रहा हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे आलौच्य पट्टा जारी करने के समय अप्रार्थी सं. 1 के रूप मे सरपंच पद पर अप्रार्थी सं. 2 की पत्नी श्रीमति ओमकंवर निर्वाचित थी जिसने अपने कार्यकाल मे निहित शक्तियों का दुरूपयोग करतु हुए अप्रार्थी सं. 2 को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर आये हुए लाखों रूपये कीमत के भूखण्ड को मात्र 200 रूपये मे अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे विक्रय किया गया है जो मात्र अप्रार्थी सं. 2 को फायदा दिलाने के लिये गुपचुप कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि का पट्टा विलेख अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नियम विरूद्ध जारी किया गया है जो निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आलौच्य पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी को सुना। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 सरपंच, ग्राम पंचायत मोकलसर के रूप मे तत्कालीन सरपंच ओमकंवर ने अपने पति के नाम से राष्ट्रीय राजमार्ग की 75 फीट की सीमारेखा मे आने वाली भूमि के साथ ही प्रार्थी के पट्टाशुदा भूमि को मिलाकर अनाधिकृत रूप से पट्टा जारी कर दिया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन हैं कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे आलौच्य पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 143, 148, 150, 151, 152, 154 व 155 की कोई पालना नहीं की गई हैं। इस सम्बन्ध मे ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे आलौच्य पट्टा जारी करने के समय ग्राम पंचायत मोकलसर के सरपंच के रूप मे श्रीमति ओमकंवर पदासीन रही हैं। पत्रावली मे अप्रार्थी सं. 2 के प्रार्थना पत्र पर स्थल निरीक्षण रिपोर्ट ली गई है जिसमे स्वयं सरपंच के हस्ताक्षर अंकित है किन्तु इसमे अप्रार्थी सं. 2 का पुराना कब्जा होने का कोई उल्लेख नही है। इसके विपरित पत्रावली मे संधारित आदेशिका दिनांक 05.06.2008 में अंकित किया हैं कि मौका निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट मे पुश्तैनी आवास होना बताया गया। सार्वजनिक आपत्ति का नोटिस जारी कर इसकी दोहरी कार्बन प्रति पत्रावली मे संलग्न है किन्तु इसके प्रकाशन/चस्पानगी की कोई रिपोर्ट पुश्त पर अंकित नही है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही अवैध एवं अनियमित रूप से गुपचुप तरीके से की गई हैं। इसके अलावा तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने निजी लाभ के लिए अपने पति के नाम से आलौच्य पट्टा जारी किया गया है जो अपने पदीय शक्तियों का दुरूपयोग की श्रेणी मे आता हैं। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे अनियमित रूप से पट्टा विलेख जारी किया गया है जो अवैध, अनियमित एवं अपूर्ण कार्यवाही होने से अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत मोकलसर द्वारा बैठक दिनांक 21.12.2009 के संकल्प सं. 1 तहत लिये गये निर्णय की अनुपालना मे अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 5 दिनांक 21.12.2009 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner